U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % Mk0 lfer 'kekZ] vkbZ-,-,l-

jktLo vihy la[;k 429@2020

vihykUV बनाम **jLikMUVl**

1. श्रीमती सीमा भाटिया पत्नी श्री रमेश भाटिया
2. श्रीमती तारा पत्नी लालूराम निवासी–द्वारकाधीश मंदिर के पास, तहसील पिण्डवाडा, सिरोही।

1. जिला कलेक्टर, सिरोही।
2. उप तहसीलदार, भांवरी जिला सिरोही।
3. तहसीलदार, पिण्डवाडा
4. हल्का पटवारी, भांवरी, तहसील पिण्डवाडा।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 11/2020 अनवान श्रीमती सीमा भाटिया वगैराह बनाम राज्य वगैराह में दिनांक 22.09.2020 को पारित किया।

mifLFkfr%&&

1. श्री भरत श्रीमाली, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।

fu.kZ;

fnukad vDVwcj]2020

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत यह राजस्व अपील जिला कलेक्टर, राजस्व अपील संख्या 11/2020 अनवान श्रीमती सीमा भाटिया वगैराह बनाम राज्य वगैराह में दिनांक 22.09.2020 को पारित किये आदेश के विरूद्ध दिनांक 01.10.2020 को प्रस्तुत की गई है।
2. अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अभिभाषक के द्वारा की गई बहस को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमों में वर्णित तथ्यों एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि पटवारी हल्का भांवरी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम भांवरी के ख0सं0 1172 रकबा 3750 वर्गफीट किस्म गैर मुमकीन रास्ता

में संवत 2076 खरीफ में अनाधिकृत रूप से शोरूम निर्माण कर अतिक्रमणकरने की रिपोर्ट पेश की। जिस पर ना0 तहसीलदार न्यायालय भांवरी द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्टस को नोटिस जारी किया, जिसके क्रम में अपीलान्टस द्वारा उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत कर यह कथन किया कि अपीलान्टस ने किसी प्रकार का गैरमुमकीन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और न ही कोई अवैध निर्माण किया है, पटवारी हल्का ने गलत रूप से रिपोर्ट पेश की है।

3. अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस ने उनके समक्ष यह भी कथन किया कि ख0सं0 1172 का कुछ भाग वर्ष 2004 में ही नेशनल हाईवे में अवाप्त हो चुकी है एवं शेष भूमि पर 50 वर्षो से आबादी बसी हुई है। अपीलान्टस की उक्त कब्जाशुदा भूमि उनके स्वामित्व व आधिपत्य है जिसका पटटा ग्राम पंचायत भांवरी द्वारा वर्ष 2013 में जारी किया हुआ है एवं ग्राम पंचायत में विक्रय विलेख भी निष्पादित किया हुआ है। ना0 तहसीलदार भांवरी द्वारा दिनांक 17.01.2020 को पटवारी हल्का व सर्वे टीक को सीमाकंन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जिस पर दिनांक 17.2.2020 को रिपोर्ट तैयार कर उनको पेश की तत्पश्चात ना0 तसहीलदार भांवरी द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के उपरान्त अपीलान्टस को धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत ख0सं0 1172 रकबा 3750 वर्गफीट गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर बने शोरूम निर्माण करने का अतिक्रमी घोषित कर दिया।

4. ना0 तहसीलदार भांवरी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा प्रथम राजस्व अपील श्रीमान जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष पेश की जिस पर जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपीलान्टस की अपील को दिनांक 22.09.2020 को खारिज करते हुए ना0 तहसीलदार भांवरी के आदेश दिनांक 28.2.2020 को यथावत रखा जिसके विरूद्ध अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ना0 तहसीलदार का धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु केवल मात्र तहसीलदार ही सक्षम है। ना0 तहसीलदार इस धारा के तहत प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रेषित कर सकते है। ऐसे में ना0 तहसीलदार द्वारा पारित आदेश विधि विपरित होने से निरस्त

करने योग्य है। उक्त कथनों के समर्थन में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मणीराम बनाम स्टेट, 1974 आरआरडी 391 में अभिनिर्धारित किया हुआ है।

6. अपीलान्टस का वादग्रस्त भूमि पर बना शोरूम किसी भी गैर मुमकीन रास्ते/आबादी पर नहीं बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर आई हुई है। ग्राम पंचायत द्वारा 27.8.2013 एवं 9.4.2013 को राज0 पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए विधि सम्मत उक्त भूखण्ड के तीन पटटै क्रमशः मीठाराम पुत्र वीराराम, खताराम पुत्र जोगाराम, मोहन पुत्र वीराराम के पक्ष में जारी किये है। उक्त पटटा शुदा भूखण्डों को अपीलान्टस के द्वारा इन व्यक्तियों से दिनांक 24.4.2013 व 39.5.2019 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से खरीद किये है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत से दिनांक 12.9.2013 निर्माण स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्माण स्वीकृती कार्य प्रारम्भ करवाया गया है जो कि नियमानुकूल है।

7. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जब तक ग्राम पंचायत की ओर से जारी पटटा विलेख को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया तब तक अपीलान्टस को अतिक्रमी घोषित नहीं किया जा सकता है। परन्तु दोनों न्यायालयों द्वारा अपीलान्टस के उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सीमांकन रिपोर्ट भी विधि अनुसार तैयार नहीं की गई। मात्र संगम बिन्दू से जरीब चलाकर ख0सं0 1172 की सीमा जानकारी लेने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, अतिक्रमी ने कितने व किस प्रकार का अतिक्रमण किया है, भी लिखना होता है। इस आधार पर अपीलाधीन निरस्त करने योग्य है।

8. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राज0 सरकार के परिपत्र दिनांक 7.9.17, 15.09.17, 3.10.17 के तहत जिला कलेक्टर्स को यह अधिकारिता दी गई है कि कोई भी सिवाय चक भूमि जो आबादी हेतु उपयोग में आ रही है, को आबादी भूमि विकास हेतु धारा 92 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत सेट अपार्ट कर ग्राम पंचायत को आंवटित कर दी जायेगी और ग्राम पंचायत द्वारा बाजार मूल्य से रूपये प्राप्त कर विधि अनुसार व्यक्तियों को पटटे जारी कर सकेगी। ऐसे में ख0सं0 1172 की भूमि प्रतिबंधित नहीं है तथा आवासीय उपयोग हेतु काम में आ रही है।

9. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस के उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड के पास चिपता हुआ अन्य व्यक्ति का भूखण्ड स्थित है जबकि सीमाकंन रिपोर्ट में उक्त व्यक्ति के भूखण्ड को ख0सं0 1172 का भाग नहीं माना है ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलान्टस को येनकेन प्रकारेण से अतिक्रमी घोषित करने हेतु गलत सीमाकंन रिपोर्ट तैयार की गई, इस तथ्य को दोनों न्यायालयों ने गौर नहीं किया है। अतः अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे एवं श्रीमान जिला कलैक्टर सिरोही के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2019 एवं ना0 तहसीलदार भांवरी के आदेश दिनांक 28.2.2020 को निरस्त किया जावें।

10. हमने अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपील, अपीलाधीन आदेश एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि ना0 तहसीलदार भांवरी के द्वारा अपीलान्टस के प्रकरण में विवादग्रस्त ख0सं0 1172 की रकबा 3750 वर्गफीट किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर शोरूम निर्माण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का भांवरी के द्वारा पेश करने पर उनके कार्यालय द्वारा सीमाकंन करने हेतु एक टीम का गठन किया जाकर उनसे रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें अपीलान्टस के द्वारा उक्त खसरा भूमि के भूभाग पर शोरूम निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। जिस पर ना0 तहसीलदार भांवरी ने अपीलान्टस एवं राज्य पक्ष को सुने जाने के उपरान्त अपीलान्टस को अतिक्रमी मानते हुए वादग्रस्त भूमि पर किये गये अतिक्रमणे हटाये जाने के आदेश पारित किये गये है।

11. अपीलान्ट के द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध जिला कलेक्टर सिरोही न्यायालय में अपील की जिस पर विद्वान जिला कलेक्टर सिरोही ने अपीलान्टस की अपील इस आधार पर अस्वीकार कर दी कि उक्त खसरा संख्या 1172 किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि को पूर्व में ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी और उक्त वादग्रस्त स्थल भूमि आज भी आम रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है और ग्राम पंचायत को रास्ता भूमि पर पटटा जारी करने का अधिकार नहीं है और गैर मुमकीन रास्ते की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटन करने पर प्रतिबंध है। साथ ही अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत

नहीं किया हो जिससे ख0सं0 1172 गैर मुमकीन रास्ते की रकबा भूमि को ग्राम पंचायत को आवंटन की हुई हो। इस आधार पर अपीलान्टस की अपील खारिज की गई है। जिससे यह न्यायालय भी सहमत है। अपीलान्टस की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है कि उक्त वर्णित भूमि गैरमुमकीन रास्ता न होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है। अपीलान्टस के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया जाना कि ना0 तहसीलदार को धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी हटाने या अतिक्रमी घोषित करने की अधिकारिता नहीं है, यह तथ्य स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस प्रकार विद्वान जिला कलेक्टर सिरोही के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुसार जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2020 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक अक्टूबर, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 lfer 'kek½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj